न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–30/21 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2021/135

उनवान

1. श्रीमती मीरा आयु 50 साल विधवा पत्नी शिवचरन।
2. पुनीत आयु 33 साल पुत्र शिवचरन।
3. उमेश आयु 23 साल पुत्र शिवचरन।
4. श्रीमती मंजू आयु 26 साल पुत्री शिवचरन, पत्नी उमेश जाति नाई निवासी दहगॉव हाल निवासी मासलपुर तहसील व जिला करौली राज0।

.....अपीलांट।

बनाम

1. ग्यासी आयु 72 साल पुत्र घीसीराम।
2. जगदीश आयु 52 साल पुत्र ग्यासी।
3. प्रभूदयाल आयु 46 साल पुत्र ग्यासी।
4. विनोद आयु 42 साल पुत्र ग्यासी।
   समस्त जाति नाई निवासी दहगॉव तहसील बयाना जिला भरतपुर।
5. श्रीमती गीता तिवाडी आयु 62 साल पत्नि अमर सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी नगला छीतरिया तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

.....शोभनार्थ रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 02.03.2021 उनवानी मीरा आदि बनाम ग्यासी प्र0स0 180/2020

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महेन्द्र भूषण शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री अजीत सिंह गूर्जर अनुपस्थित।

1 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :–13.04.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 02.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 3 रकवा 0.55 है0 वाके ग्राम नगला छीतरिया तहसील बयाना में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजी है जो कि प्रार्थीगण के पिता के बाबा घीसीराम की छोडी हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर 1/10 भाग के खातेदार काश्तकार व काबिज हैं। सहदायिकी आराजी में प्रार्थीगण के पति व पिता शिवचरन व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 को जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी का इन्द्राज पिता होने के कारण दर्ज है। उक्त इन्द्राज सरासर गलत एवं अवैध व मौके पर काबिज हक के नितांत विपरीत दर्ज है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण के अधिकारो को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त आराजी के 1/2 भाग का विक्रयपत्र अप्रार्थी संख्या 05 के हक में तहरीर कराकर रजिस्टर्ड करा दिया एवं आये दिन आये दिन शेष आराजी को भी विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषकगण उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। यह है कि धारा 208 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत दावा, प्रार्थना पत्र अन्य किसी कार्यवाहियों में सीपीसी प्रावधान लागू होते हैं। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीपीसी के प्रावधान के अनुसार योग्य अधीनस्थ न्यायलय को तीन बिन्दुओ प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णनयी क्षति व सुविधा का सन्तुलन पर अपना निर्णय पारित करना होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों बिन्दुओ पर किसी प्रकार की विवेचना नहीं किया है और सरसरी तौर पर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि होती है कि विवादित आराजी पैतृक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी है। साविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी हैं। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पूर्वज घीसीराम की रही है। जिनके 2 लडके ग्यासी एवं रतीराम थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र केवल मात्र इस आधार पर कि प्रार्थीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड नहीं है के आधार पर खारिज करना नितांत गलत व अवैध है। प्रार्थीगण की ओर से दावा केवल स्थायी निषेधाज्ञा का नहीं है बल्कि प्रार्थीगण ने दावा अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रस्तुत किया है। जहॉ तक विवादित आराजी के संबंध में एक अन्य वाद पूर्व से विचाराधीन होने का प्रश्न है के संबंध में उनका तर्क है कि पूर्व वाद को गुणावगुणो के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं हुआ है। इसलिये प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। उक्त प्रकरण में ना तो तनकीयात कायम हुयी है एवं ना ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध हुयी है। अतः केवल उपधारणा के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पक्षकारान द्वारा दूसरा वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि वादकरण अलग–अलग पैदा होते हैं तो न्यायालय में प्रत्येक वाद कारण के लिये पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वैसे भी वर्तमान में वाद कारण दिनांक 04.10.2020 को उस समय पैदा हुआ जब अप्रार्थी संख्या 05 ने धमकी दी कि उसने विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 01 से क्रय कर लिया है। यह है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी 01.04.1994 से 31.03.2014 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 26, 29, 30 पर रतीराम व ग्यासी पिसरान घीसीराम कौम नाई वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है एवं इसी प्रकार जमाबन्दी ढाल–बॉछ संवत 2005 में विवादित आराजी पर घीसी का नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू पर कोई विवेचना नहीं की जाकर, सरसरी तौर पर वादी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस प्रकार का निर्णय किसी प्रकार विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। लिहाजा हम अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 02.03.2021 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिन्दू पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना की जाकर पुनः विधि अनुरूप एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें। तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.05.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना